

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	सुनीता उपाध्याय	रसायन विज्ञान	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 668 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	पुष्पा पंत	भूगोल	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 669 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	प्राची जोशी	वनस्पति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, महिला हल्लदानी।	राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 670 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्लदानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक १५ जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	किरन कुमार पंत	वाणिज्य	राजकीय महाविद्यालय, रामनगर।	राजकीय महाविद्यालय, चम्पावत।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 671 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	मंजू काण्डपाल	रसायन विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, महिला हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, दन्या।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 672 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	भुवन तिवारी	राजनीतिशास्त्र	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 673 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	संध्या गढ़कोटी	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, महिला हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, पाटी।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।


/

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 674- (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक १८ जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	रजनी मेहरा	जन्तु विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, महिला हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, देवीधूरा।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 675 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	शरद चन्द्र मिश्रा	रसायन विज्ञान	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, मानिला।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 676 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	प्रसून कुमार जोशी	रसायन विज्ञान	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 677 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	अजीत सिंह	राजनीतिशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार।	राजकीय महाविद्यालय, कल्जीखाल।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 678 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

५

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	तारा भट्ट	भौतिक विज्ञान	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 679 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा/से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022
देहरादून: दिनांक १५ जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	संजीव सक्सेना	वाणिज्य	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- ६४० (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	मधु थपलियाल	जन्तु विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, रायपुर।	राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 68। (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/पदनाम/श्री/श्रीमती/सुश्री	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	मनीषा तिवारी	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर।	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 682 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

&

आज्ञा/से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	सुश्री लता कैंडा	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार।	राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 683 (1)/ XXIV-C-4/ 2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2022- 03(1)2022
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डॉ० परमानन्द तिवारी	वाणिज्य	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर।	राजकीय महाविद्यालय, चम्पावत।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- ~~684~~ (1)/ XXIV-C-4/ 2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(1)2022
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम / पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डॉ० नीलू कुमारी	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, डोईवाला।	राजकीय महाविद्यालय, पावकी देवी।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 685 (1)/XXIV-C-4/2022-03(1)2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	रुचि हरीश आर्या	शिक्षाशास्त्र	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, मोरी।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-686 (1)/ XXIV-C-4/ 2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	राकेश बिष्ट	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़।	राजकीय महाविद्यालय, जैती।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-687 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक १५ जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	रीनू रानी मिश्रा	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर।	राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-684 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	स्वाति नेगी	बी0एड0	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार।	राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-690 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डॉ० देवकी गिरी गोस्वामी	अर्थशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, महिला हल्लदानी।	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-691 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्लदानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डॉ० वंदना तिवारी	वाणिज्य	राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर।	राजकीय महाविद्यालय, भिकियासैण।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-692(1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	अमिता चौरसिया	गणित	राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर।	राजकीय महाविद्यालय, दन्या।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या-693 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डा0 रचना नौटियाल, स0 निदेशक	जन्तु विज्ञान	क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	राजकीय महाविद्यालय, गोपेश्वर।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-694 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	शर्मिला सक्सेना	अंग्रेजी	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर।	राजकीय महाविद्यालय, मानिला।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या- 696 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	माया शुक्ला	संस्कृत	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-695 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	प्रीति त्रिवेदी	हिन्दी	राजकीय महाविद्यालय, रामनगर।	राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या-697 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	हरिओम प्रकाश सिंह	राजनीतिशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर।	राजकीय महाविद्यालय, दन्या।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-698 (1)/ XXIV-C-4/ 2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक १५ जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	डा० भारती सिधंल	अर्थशास्त्र	एम०बी० राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-६११ (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	राजीव सिंह कनौजिया	राजनीतिशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, रामनगर।	राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 200 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	अपराजिता	गृह विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर।	राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-701 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	नूतन श्रीवास्तव	वनस्पति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, बाजपुर।	राजकीय महाविद्यालय, जैती।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 702(1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर उपरोक्त स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम/ पदनाम	विषय	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2		3	4
1	नीरू गुप्ता	रसायन विज्ञान	एम0बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी।	राजकीय महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि।

2. निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या-703 (1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- /XXIV-C-4/2022-03(01)/2022

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

एतद्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डॉ० मोनिका बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला को राजकीय महाविद्यालय, नानकमत्ता में अग्रिम आदेशों तक सम्बद्ध किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत किए जा रहे हैं।

(एम०एम० सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या- 104(1)/XXIV-C-4/2022-03(01)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(ब्योमकेश दूबे)

उप सचिव।